# न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :– पंकज गढ़वाल ( आर0ए0एस0 )
मिसल न0– 14 / 2023
अनवान :–

1. मुख्त्यारो पत्नी धर्मपाल जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।

सायल

बनाम्

1. विरूराम उर्फ सतवीर पुत्र निराणाराम जाति नायक निवासी जसाना तहसील नोहर।
2. भागा पत्नी निराणाराम जाति नायक निवासी जसाना तहसील नोहर।
3. सुरेन्द्र पुत्र निराणाराम जाति नायक निवासी जसाना तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

–गैरसायलान

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–(क) राज0 काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थित :– श्री महेशचन्द्र शर्मा, अभिभाषक, प्रार्थी

निर्णय दिनांक : 16/01/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की रोही मौजा चक 20 जेएसएन के खाता संख्या 101 / 102 के प0न0 329 / 400 (9) के किला न0 15 / 1 की 0. 1260हैक 16 ,17, 24, 25 / 1.012हैक कुल 1.1380हैक भूमि प्रार्थीया बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रांर्थीया की भूमि के चिपते ही रोही मौजा चक 20 जेएसएन के प0न0 328 / 400(8) के किला न0 3 / 1 , 3 / 2 ,प0न0 329 / 400 (9) के किला न0 6 / 2 ,7 ,14 , 15 / 2 कुल 1. 3670हैक अप्रार्थी / गैरसायल संख्या 1 ता 3 बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रार्थीया की खातेदारी भूमि में आवागमन के लिये कोई भी स्वीकृत शुद्वा रास्ता नही है जिससे प्रार्थीया को फसल काश्त करने में परेशानी का सामना करना पहता है प्रार्थीया को उसकी खातेदारी भूमि में आवागमन करने के लिये सबसे सुविधाजनक एव नजदीकी रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के प0न0 329 / 400(9) के किला न0 7 ,14 की पश्चिमी सीव पर उतर से दक्षिण का रास्ता है जिसे प्रार्थीया मंजुर करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहती है।

प्रार्थीया को सबसे नजदीकी और सुविधाजनक रास्ता प0न0 329 / 400(9) के किला न0 4 तक स्वीकृतशुद्वा है ओर चालू है किला न0 4 से आगे किला न0 7 ,14 में एक एक विश्वा रास्ता स्वीकृत करने से प्रार्थीया अपनी खातेदारी भूमि मे प्रवेश कर सकती है प्रार्थीया उक्त रास्ता स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाना चाहती है जिसके बदले में भूमि या नियमानुसार राशि देने को तेयार है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 20 जेएसएन के प0न0 329 / 400(9) के किला न0 7 ,14 की पश्चिमी दिशा में उतर से दक्षिण 1–1 बिश्वा रास्ता स्वीकार फरमाया जावे एवं रास्ते के बदले में प0न0 329 / 400(9) के किला न0 15 / 1 की 2 बिश्वा भूमि गेरसायल संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण / गेरसायलान को जरिये रजिस्टर सम्मन तलब किया जाने पर भी अप्रार्थीगण न्यायालय में उपस्थित नही आने पर एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थी की बहस सुनी गई।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया की प्रार्थीया की खातेदारी भूमि में आवागमन के लिये कोई भी स्वीकृत शुद्वा रास्ता नही है जिससे प्रार्थीया को फसल काश्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है प्रार्थीया को उसकी खातेदारी भूमि में आवागमन करने के लिये सबसे सुविधाजनक एव नजदीकी रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के प0न0 329 / 400(9) के किला न0 7 ,14 की पश्चिमी सीव पर उतर से दक्षिण का रास्ता है जिसे प्रार्थीया मंजुर करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:35:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रार्थीया को सबसे नजदीकी और सुविधाजनक रास्ता प0न0 329/400(9) के किला न0 4 तक स्वीकृतशुद्धा है ओर चालू है किला न0 4 से आगे किला न0 7 ,14 में एक एक विश्वा रास्ता स्वीकृत करने से प्रार्थीया अपनी खातेदारी भूमि मे प्रवेश कर सकती है प्रार्थीया उक्त रास्ता स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाना चाहती है जिसके बदले में भूमि या नियमानुसार राशि देने को तेयार है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 20 जेएसएन के प0न0 329/400(9) के किला न0 7 ,14 की पश्चिमी दिशा में उत्तर से दक्षिण 1–1 बिश्वा रास्ता स्वीकार फरमाया जावे एवं रास्ते के बदले में प0न0 329/400(9) के किला न0 15/1 की 2 बिश्वा भूमि गेरसायल संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज करने के आदेश फरमावे।

हमने वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया

रोही मौजा चक 20 जेएसएन के खाता संख्या 101/102 के प0न0 329/400 (9) के किला न0 15/1 की 0.1260हैक्‍ 16 ,17, 24, 25/1.012हैक्‍ कुल 1.1380हैक्‍ भूमि प्रार्थीया बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रांर्थीया की भूमि के चिपते ही रोही मौजा चक 20 जेएसएन के प0न0 328/400(8) के किला न0 3/1 , 3/2 ,प0न0 329/400 (9) के किला न0 6/2 ,7 ,14 , 15/2 कुल 1.3670हैक्‍ अप्रार्थी/गैरसायल संख्या 1 ता 3 बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रार्थीया का कथन है कि उसकी खातेदारी भूमि रोही मौजा 20 जेएसएन में पहुचने के लिये कोई भी स्वीकृत रास्ता नही है प्रार्थीया की खातेदारी भूमि में पहुचने के लिये सबसे नजदीकी व सुविधाजनक रास्ता प0न0 329/400(9) के किला न0 4 तक स्वीकृतशुद्धा है ओर चालू है किला न0 4 से आगे किला न0 7 ,14 में एक एक विश्वा रास्ता स्वीकृत करने से प्रार्थीया अपनी खातेदारी भूमि मे प्रवेश कर सकती है प्रार्थीया का कथन स्वीकार योग्य है क्योकि किसी भी काश्तकार को उसकी खातेदारी भूमि में पहुचने /आवागमन करने के लिये रास्ता दिया जाना अतिआवश्यक है।

प्रस्तुत नजरीय नक्शा के अनुसार रोही मौजा चक 20 जेएसएन के प0न0 329/400 (9) के किला न0 4 तक रास्ता स्वीकृत है प्रार्थीया की खातेदारी भूमि के मु0न0 9 के किला न0 17 तक पहुचने के लिये रास्ता की आवश्यकता है मु0न0 9 के किला न0 4 से आगे किला न0 7 ,14 में रास्ता स्वीकृत करने से प्रार्थीया अपनी खातेदारी भूमि में प्रवेश कर सकती है अर्थात नजरीय नक्शा मे दर्शाया गया रास्ता प्रार्थीया की खातेदारी भूमि तक पहुचने के लिये न्यायोचित है।

प्रस्तुत नजरी नक्शा के अनुसार स्वीकृत शुद्धा रास्ता से सायला की खातेदारी भूमि तक पहुचने का सबसे छोटा एवं सुविधाजनक रास्ता प्रतित होता है ।

किसी भी खातेदार काश्तकार को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता दिया जाना भी न्यायोचित है सायल के द्वारा चाहा गया रास्ता नजरीय नक्शा अनुसार दिया जाना उचित प्रतित होता है जिससे गैरसायलान को भी नुकसान नही हो रहा है अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों के आधार पर एवं किसी प्रकार की आपत्ति पेश नही होने के कारण स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 20 जेएसएन के प0न0 329/400(9) के किला न0 7 ,14 की पश्चिमी दिशा में उत्तर से दक्षिण में 1–1 बिश्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा प्रार्थीया रास्ता में जितनी भूमि आती है उतरी भूमि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 को उसकी खातेदारी भूमि के चिपते हुए प0न0 329/400(9) के किला न0 15/2 की 2 बिश्वा भूमि देगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार राजस्व नोहर को आदेश जारी किया जाकर शामिल मिसल किया गया व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16/1/25 को [illegible] जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:35:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी ( राजस्व )
नोहर (हनुमानगढ)

# न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

क्रमांक : राजस्व / 2024 / दिनांक

तहसीलदार,
नोहर

विषय :– स्वीकृत रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के सम्बध में प्रार्थना–पत्र सं0 14 सन 2023 निर्णय दिनांक

अनवान :–

अनवान :–

1. मुख्त्यारो पत्नी धर्मपाल जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।

सायल

बनाम्

1. विरूराम उर्फ सतवीर पुत्र निराणाराम जाति नायक निवासी जसाना तहसील नोहर।
2. भागा पत्नी निराणाराम जाति नायक निवासी जसाना तहसील नोहर।
3. सुरेन्द्र पुत्र निराणाराम जाति नायक निवासी जसाना तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

–गैरसायलान

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर आदेश दिया गया है कि रोही मौजा चक 20 जेएसएन के प0न0 329 / 400(9) के किला न0 7 ,14 की पश्चिमी दिशा में उतर से दक्षिण में 1–1 बिश्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा प्रार्थीया रास्ता में जितनी भूमि आती है उतरी भूमि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 को उसकी खातेदारी भूमि के चिपते हुए प0न0 329 / 400(9) के किला न0 15 / 2 की 2 बिश्वा भूमि देगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाकर पालना रिपोर्ट तुरन्त प्रस्तुत करे।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:35:58 IST
Reason: SelfAttested